example, the Finance Minister has taken credit for stepping up the Central Plan allocation by 25,000 crores of rupees because he has taken the base of the Central Plan Outlay for the year 1997-98 as 81,000 crores of rupees which was the revised estimate of the year.

Therefore, he is taking a simplistic approach that this year's Budget allocation for the Central Plan Outlay is Rs.1,05,000 crores. So, an amount of Rs.24,000 crores has been enhanced. But actually, of the Budget estimates stage that the Central Plan Outlay for the year 1997-98 was Rs.91,000 crores. So, a comparable figure would be between Rs.91,000 crores and Rs.1,05,000 crores. I can give umpteen number of examples from the Budget Speech of this type of comparasion. Take the case of Accelerated Irrigation Benefit Scheme. He has said, "I have stepped up the allocation by 58 per cent under the head "Central Plan Assistance", from Rs. 800 crores to Rs. 1,500 crores." But actually, the Central Plan allocation at the (BE) stage was Rs. 1,300 crores, not Rs. 800 crores, and nobody knows what your revised figure would be when you present your Budget next year. Out of these Rs. 1,05,000 crores—Sir, (whenever you call the Prime Minister, I will resume my seat)—the budgetary support from the Central Government was Rs. 42,464 crores, and the extra-budgetary resources and the internal resource generation was Rs. 62,773 crores. Here is the catch. From 1996-97 to 1998-99, and even before that, we have found a slippage in the internal resource generation and the extra-budgetary resource generation. Take the case of power. Your actual budgetary support is less by Rs. 200 crores, and you are giving a hefty step-up from the extra-budgetary resources and the internal resource generation! In 1995-96, 1996-97 and 1997-98, there has been a serious shortfall between the Budget Estimates and the Revised Estimates on this IEBR, leading to a shortfall in the overall Central Plan Outlay. In 1996-97, the total Central Plan Outlay was Rs. 87,000-odd crores. The year ended with Rs. 77,000 crores. There was a shortfall of Rs. 10,000 crores. in 1997-98, it was Rs. 91,000 crores. We have ended with Rs. 81,000 crores, and I am quite confident, Mr. Finance Minister, that when you present your next Budget, your Revised Estimates will be Rs. 10,000 crores to Rs. 12,000 crores short. Why? It is mainly because some of your projections and assumptions are erroneous even on the revenue side; that is why, Dr. Manmohan Singh has very correctly pointed out that you have inflated your receipts and you have depressed your expenditure projections. You have taken a credit of 20 per cent: you have assumed a step-up of 20 per cent in Central Excise revenue realisation and in Customs Duty you have assumed a growth of 17 per cent. There is a very simple calculation so far as Central Excise is concerned. One per cent of industrial growth leads to 0.8 per cent growth in Central Excise. I am taking away the inflation for the time being. Therefore, if you want to have a growth rate of 20 per cent in Central Excise—assuming your rate of inflation would be seven to eight per cent—you will require a clear step-up in the industrial production at the level of 12 to 13 per cent; otherwise, these revenues in Central Excise will not be available. And what is the indication that you are going to have a 12 to 13 per cent growth rate in industrial sector? That is way you have stepped up the Customs Duty.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mukherjee, please resume your seat.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: All right, Sir.

4 P.M.

Reported Plan to Construct Ram Temple at Ayodhya—Contd.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं जिस चर्चा का उत्तर देने जा रहा हूं, उस चर्चा के दौरान उपस्थित नहीं रह सका था। इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए

अलग अलग पहलुओं का मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा। मैंने उनके भाषणों का निचोड़ पढ़ा है और उस निचोड़ के आधार पर मैं अपने विचार बहुत संक्षेप में व्यक्त करुंगा।

सभापति जी, मैं समझता था कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी के साथ मेरा जो पत्र-व्यवहार हुआ, उनके पत्र का मैंने जो उत्तर दिया। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। यदि किसी के मन में कोई भ्रम था तो उसका निराकरण हो जाना चाहिए था और यह विवाद वहीं समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले को तूल दे दिया गया, तिल का ताड़ बनाया गया, घंटों बहस चली, लेकिन उस बहस को पढ़ने से लगता है जैसे पिसे हुए को पीसा जा रहा था। नए तथ्य सामने नहीं आए, नए तर्क उपस्थित नहीं किए गए और जो कुछ पत्र-पत्रिकाओं में छपा था, उसी को आधार बनाकर इतनी लम्बी चर्चा चली। चर्चा से किसी को यह भ्रम हो सकता है कि जब मार्च में हमारी सरकार बनी तब ही से खम्भे तैयार करने का, उन्हें तराशने का काम शुरू हुआ। हमारी सरकार नेशनल एजेंडे के आधार पर काम कर रही है। उसमें अयोध्या का समावेश नहीं है। उसे जानबूझकर छेड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था लेकिन एक सर्वानुमति बनाने के लिए, सब को साथ लेकर चलने के लिए, सब की सलाह से अयोध्या का समावेश नहीं हुआ। हम उससे बंधे हुए हैं, उस पर कायम है, उससे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक खम्भे बनाने का सवाल है यह कितने सालों से बन रहे हैं, इस पर प्रकाश डालना जरूरी होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख भी किया था।

लेकिन आज के दैनिक "जनसत्ता" जो कुछ प्रकाशित हुआ है, यह पत्र भारतीय जनता पार्टी या हमारे बहुत अनुकूल हो, ऐसी बात नहीं है—

> "लखनऊ-दिनांक 9 जून। कांग्रेस अयोध्या को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अयोध्या में गुपचुप तरीके से मन्दिर निर्माण की तैयारी चल रही है। पत्थर तराशे जा रहे हैं पर दोनों इस तथ्य की अनदेखी कर रही हैं कि पत्थर तराशने की जिस कार्यशाला पर मुलायम सिंह यादव और राजेश पायलट हायतौबा मचा रहे हैं वह कार्यशाला मुलायम सिंह यादव के मुख्य मंत्री रहते 1990 की सितम्बर में बनी थी। फिर बाद में आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के नाते अपनी अयोध्या यात्रा में राजेश पायलट ने इस कार्यशाला का निरीक्षण भी किया था। लगातार 8 वर्ष से इस कार्यशाला में पत्थर तराशे जा रहे हैं"......

फिर आगे लिखा है—

> "..पत्थर तराशने का मुद्दा भले ही संसद् में पहली बार उठा हो लेकिन 8 वर्ष से यह काम हो रहा है। इस दौरान केन्द्र में नरसिंहराव, देवगौड़ा, गुजराल सरकारें रहीं तथा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती की सरकारें तथा तीन बार राष्ट्रपति शासन रहा।"

राष्ट्रपति शासन का अर्थ है केन्द्र का शासन। कार्यशाला चल रही थी, पत्थर तराशे जा रहे हैं, खंभे तैयार हो रहे थे, खुले में काम हो रहा था, दिन में उजाले में, पर्दे में नहीं, अवगुंठन में नहीं। क्योंकि यह काम करने वालों के मन में कोई काम छिपा कर किया जाए यह भावना नहीं थी। ....(व्यवधान)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी (बिहार): रात के अंधेरे में सिर्फ मूर्ति रखी गई थी। बाकी सब दिन के उजाले में हो रहा था। ....(व्यवधान)

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: رات کے اندھیرے میں صرف مورتی رکھی گئی تھی۔ باقی سب دن کے اجالے میں ہو رہا تھا۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔]

श्री सभापतिः बात सुन कर बाद में आप कह सकते हैं। ....(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जब रात के अंधेरे में मूर्ति रखी गई, तब भी हम यहां नहीं थे। ....(व्यवधान)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी: यह तो आपने सही फ़रमाया कि दिन के उजाले में होता रहा है, रात के अंधेरे में सिर्फ मूर्ति रखी गई थी। ....(व्यवधान)

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: یہ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ دن کے اجالے میں ہوتا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں صرف مورتی رکھی گئی تھی۔۔۔ "مداخلت"۔]

†[ ]Transliteration in Arabic Script

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अब मुझे दिन में से बार बार रात में मत ले जाइये। ....(**व्यवधान**) सभापति महोदय, वह सवाल तब नहीं उठा था। इस बार भी शायद पत्र-पत्रिकाओं में प्रभावशाली ढंग से इसका प्रकाशन न होता तो बहुत से सदस्यों का इस ओर ध्यान नहीं जाता। अयोध्या का मामला अदालत में है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है। हम न्यायालय के फैसले से प्रतिबद्ध हैं। जो भी फैसला होगा, हमें मान्य होगा। उसे कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें किसी भी दबाव को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। यह मैं स्पष्ट आश्वासन देना चाहता हूं। कुछ लोगों के मन में यह आशा हो सकती है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। अब फैसला पक्ष में होगा इस आशा के कारण अगर कोई खंभे तैयार कर रहा है, अगर कोई तराश रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। ....(**व्यवधान**)

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): यहीं तो शक पैदा होता है। ....(**व्यवधान**)

†[श्री जलालुद्दीन अंसारी: यही तो शक पैदा होता है... "व्यवधान"...]

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): तराशने से खराश पैदा हो रही है। ....(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सब कुछ फैसले पर निर्भर करता है। ....(**व्यवधान**)

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): यह मान लिया गया है कि फैसला आपके पक्ष में होगा। ....(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आपको यह फैसला करने का अधिकार है कि फैसला आपके हक में होगा।

आप कुछ निराश दिखाई देते हैं।

श्री वसीम अहमद: बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जैसे उधर तराश है, हमारी तरफ खराश है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति महोदय, मार्च में जब से हम आए, किसी ने अयोध्या का मामला नहीं उठाया क्योंकि एक बार अदालत को सौंप दिया गया तो फिर अदालत उसका निर्णय करेगी और हम तो चाहते हैं जल्दी फैसला हो। ऐसे नाजुक मसले इतनी देर तक अधर में लटके रहें यह ठीक नहीं और इसलिए इस सदन में भी आज खड़े होकर मैं यह कहना चाहूंगा कि कार्यवाही तेजी से चले, सुनवाई में शीघ्रता हो, निर्णय किया जाए। इसकी आवश्यकता है क्योंकि राजनीतिक लाभ उठाने का लोभ बड़ा प्रबल है।

श्री वसीम अहमद: ठीक बात है। दिल से कह रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह एक तरफ हो ऐसा नहीं है ....(व्यवधान) और इस लोभ को बढ़ने नहीं देना चाहिए। सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश में साम्प्रदायिक शांति और सद्भावना की बड़ी आवश्यकता है। यह आवश्यकता हमेशा रही है, लेकिन इस समय यह हमारी सर्वोपरि आवश्यकता है।

जब श्री इन्द्रजीत गुप्त, गृह मंत्री थे, मदनी साहब ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी। उसका शायद हवाला दिया गया होगा और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन वे कोई गैर-कानूनी काम नहीं हैं और उनमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब वह पत्र भी सबके सामने है। उसके बाद भी मामले को इस तरह से उठाने की कोशिश की जा रही है, की गयी है कि जैसे कोई षडयंत्र चल रहा था, जिसका अभी भंडाफोड़ हुआ है। सभापति महोदय, यह षडयंत्र नहीं है। किसी को षडयंत्र करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मैं माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं, 6 दिसम्बर, 1992 से बात बहुत आगे बढ़ गयी है। कुछ हमारे माननीय सदस्य, कुछ हमारे संगठन वहीं खड़े हैं। वक्त बदलता है। काल का प्रवाह चलता है। नयी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और नयी परिस्थितियों के प्रकाश में निर्णय होना चाहिए, फैसले होने चाहिए। हम पूर्वाग्रह से बंधे रहे तो सभी उलझनें जटिल होंगी। नया आरंभ करने की जरूरत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी सरकार आ गयी है। लोकतंत्र में जो सदन में बहुमत प्राप्त करने में सफल होगा वह सरकार बनाएगा। उस सरकार पर जिम्मेदारी होगी कि वह बांटने वाली राजनीति से ऊपर उठकर सारे देश को साथ लेने वाली राजनीति करे। हम प्रतिपक्ष से भी यही आशा करते हैं। 40 साल हमने प्रतिपक्ष में बिताए हैं। हमने हताशा में, निराशा में, सत्ता हाथ में नहीं आ रही या सत्ता चली गयी, आखिर एक बार हाथ में आई थी...।

आपात्स्थिति के बाद चली गई तो हम निराश नहीं हुए, हम खिन्न नहीं हुए। हमने विघटन का खेल नहीं खेला, हमने वोटों की राजनीति नहीं की। सभापति महोदय, मैं कुछ बातें दोहराना चाहता हूं। आज उन्हें

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

दोहराने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि अदालत की प्रक्रिया में हमारा पूरा विश्वास है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसे दृढ़ता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। मैं इस बात को भी कह चुका हूं कि यह मामला नाजुक है, भावनाओं से जुड़ा है, अदालत के सामने वर्षों से पड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों का जल्दी निबटारा करे, इस बात की आवश्यकता है। निबटारा जो होगा उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा और सभी स्वीकार करेंगे, यह मैं आशा करता हूं। इस समय विवादग्रस्त क्षेत्र केन्द्र सरकार के संरक्षण में है। उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसकी स्थिति में किसी को भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। वहां कड़ा पहरा है, सुरक्षा बल लगे हुए हैं। एक मजिस्ट्रेट है जो 24 घंटे तैनात है। सचमुच में प्रतिबंध इतने कड़े हैं कि यात्रियों को जाने में कठिनाई हो रही है। अब कोई अचानक आकर गुपचुप तैयारी करके वहां मंदिर का निर्माण कर लेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भावनाओं को भड़का कर किसी ढांचे को ढाया जा सकता है, मगर सोमनाथ जैसे भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण नहीं किया जा सकता और इस तरह की आशंका मन में से निकाल दें, वर्तमान सरकार के चलते ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। 6 दिसंबर, 1992 को जो कुछ हुआ उसकी जांच लिब्रहैन आयोग कर रहा है। आयोग का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, इसलिए आयोग की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब अयोध्या हमने नेशनल एजेंडा में छोड़ दिया तो आपने उसे क्यों ग्रहण कर लिया। अब अयोध्या के प्रति अगर भक्ति भाव जागा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ऐसे प्रश्नों पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें हमारी तरफ से कमी नहीं होगी। देश में एक उत्तरदायित्व का वातावरण बनाने की आवश्यकता है और यह चर्चा उसमें बाधक न बने, इस आशा के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

THE BUDGET (GENERAL), 1998-99 (CONTD.)

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): The point which I was trying to drive at is about the fallacy in projecting higher allocations by comparing between non-comparables and it has happened not in one year alone. It has happened almost for the last three consecutive years. What is the basic problem? The basic problem is this. We suggested that the public sector enterprises should raise their resources from the market or by generating their internal resources. They have not been able to do that. I would not like to multiply the examples. Take the power sector, the coal sector, the communication sector and even the railways except in recent years when the Railway Finance Corporation has been able to raise some resources, have not been able to raise the resources they were expected to raise. But when they fail to raise the resources, there is a shortfall in the overall Plan Outlay.

The second point which I was dealing with is about the depressed expenditure figure and the inflated receipt figure. Take the case of defence expenditure. From 1995-96 onwards, there has been 10% to 14% step up in the defence expenditure every year. And you cannot just expect that this step up in this budget is going to be adequate. Therefore, there comes the question of having a higher fiscal deficit and imbalance in our financial structure. Now, the Finance Minister, while presenting his Budget, came out with three very laudable ideas. He wanted to have a simplified tax structure, a saral structure. He wanted to have better compliance by giving *sammaan* to the tax-payer. Thirdly, he also wanted to give them some relief by providing *samadhaan*. Two other aspects have been dealt with. It is proper on the part of the Finance Minister to bring another voluntary disclosure scheme with some other name—of course, I am not going into the rationality of that aspect; it has been dealt with. But where is the *saralata* in his tax structure? Mr. Finance Minister, when the finance Bill is discussed clause-by-clause, we will show how you have made he tax structure more complex. I am giving you just two examples.